अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2017 अनवानी श्री प्रकाश कुमार निवासी 1/36–37 हाउसिंग बोर्ड, गुरूनगर मेन रोड़, वार्ड न0 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर

24.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2017 के द्वारा जिला खाद्य व वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> उचित मूल्य की दुकान (डिपो) विजयकुमार देसराज वार्ड न0 30/28, रामलीला मैदान के सामने श्रीगंगानगर (राज0) केः–
> 1– ए.पी.एल. कार्ड होल्डरो की सूची मय पता
> 2– बी.पी.एल. कार्ड होल्डरो की सूचि मय पता
> 3– अन्तोदय व आस्था कार्ड होल्डरो की सूची मय पता
> 4– अप्रेल 2015 से आज तक इस दुकान को आवंटित किया गया व इस द्वारा उठाया गया गेहूं, केरोसीन, तेल, चीनी व अन्य वस्तुओ की मात्रा तथा डिपो होल्डरो द्वारा वितरित न होने की स्थिति में यदि विभाग में जमा किया गया है तो उसकी भी माहवार मात्रा।
> 5– प्रत्येक वस्तु में दुकानदार का लाभांश प्रतिशत की जानकारी देने वाले दस्तावेजो का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियां।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 3078 दिनांक 18.05.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को रजिस्टर्ड पत्र सं0 2897 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिन्दु सं0 1, 2, 3 के संबंध में चाही गई सूचनांए विभाग द्वारा ऑनलाईन की हुई है अतः संबंधित राशन कार्ड विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर देख सकते है। बिन्दू सं0 4 में चाही गई सूचना अप्रेल 2015 से मार्च 2017 तक दो वर्ष की उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसके 24 पेज बनते है जिसकी देय फीस राशि 2रूपये प्रति पेज की दर से 48/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है। बिन्दू सं0 5 के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस के अन्दर उनके कार्यालय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 2897 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

> इस संबंध में लेख है बिन्दु संख्या 1, 2, 3 के संबंध में चाही गई सूचनांए विभाग द्वारा ऑनलाईन की हुई है अतः संबंधित राशन कार्ड विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर देख सकते है।
> बिन्दू सं0 4 में चाही गई सूचना अप्रेल 2015 से मार्च 2017 तक दो वर्ष की उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसके 24 पेज बनते है जिसकी देय फीस राशि 2रूपये प्रति पेज की दर से 48/–रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
> बिन्दू सं0 5 के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस के अन्दर उनके कार्यालय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 1, 2 व 3 की विभाग द्वारा ऑनलाईन की हुई है और जो राशन कार्ड विभाग की बेवासाईट food.raj.nic.in पर उपलब्ध है। बिन्दु सं0 4 की 24 पेज की सूचना के लिए 48रूपये जमा करवाकर प्राप्त करने के लिए लिखा गया है और बिन्दु सं0 5 की सूचना के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर रिकार्ड का निरीक्षण करके प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 26.04.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर